संख्या-984 /2026/आर0एफ0-1660/नौ-9-2026/002-ई-2081482

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
रसड़ा, जनपद-बलिया/बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर/बस्ती, जनपद-बस्ती/गंगाघाट, जनपद-उन्नाव/कोसीकलां, जनपद-मथुरा/स्वार, जनपद-रामपुर/गौरीगंज, जनपद-अमेठी/सिद्धार्थनगर, जनपद-सिद्धार्थनगर/मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू0 1213.47 लाख (रूपये बारह करोड़ तेरह लाख सैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि रू0 1199.76 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 599.88 लाख (रूपये पांच करोड़ निन्यानबे लाख अठ्ठासी हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0 पी0आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/ प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	स्तम्भ-(5) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पालिका परिषद रसड़ा, जनपद-बलिया	वार्ड संख्या 17/20 में हरिहर तेली के मकान से माली के बगीचा तक सी0सी0 रोड व लाइट का कार्य।	99.95		
		योग	**99.95**	**99.95**	**49.975**
2	नगर पालिका परिषद बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर	1. आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 7.5 मीटर कास्ट एल्यूमिनीयम बेस पोल ट्राई-कलर एवं ब्रेकेट, आर्म सहित लाइट पोल की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	79.49		
		2. आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 3.5 मीटर टॉप फोर लाईट सहित डेकोरेटिव पोल की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	20.51		
		योग	**100.00**	**100.00**	**50.00**
3	नगर पालिका परिषद बस्ती, जनपद-बस्ती	दक्षिण दरवाजा से करूआ बाबा चौराहा संपर्क मार्ग (दक्षिण दरवाजा से भागवत लाल पंसारी के दुकान तक) सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	99.84		
		योग	**99.84**	**99.84**	**49.92**
4	नगर पालिका परिषद गंगाघाट, जनपद-उन्नाव	1. वार्ड नं0 18 में संतोष गुप्ता के घर से एस0पी0 सैनी, राहुल तिवारी, नन्हेलाल सैनी के घर होते हुए संकट मोचन मंदिर के आगे तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य।	36.71		
		2. वार्ड नं0 18 में संतोष के घर से एस0पी0 सैनी, राहुल तिवारी, नन्हे लाल सैनी के घर होते हुए संकट मोचन मंदिर के आगे तक 7 मीटर पोल सहित स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	11.82		
		3. वार्ड नं0 18 में लक्ष्मी नारायण निवास से मनीराम के घर होते हुए माधवी तिवारी के घर तक एक तरफ सी0सी0 नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	41.94		
		4. वार्ड नं0 18 में लक्ष्मी नारायण निवास से मनीराम के घर होते हुए माधवी तिवारी के घर तक 7 मीटर पोल सहित स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य।	16.36		
		योग	**106.83**	**100.00**	**50.00**
5	नगर पालिका परिषद कोसीकलां, जनपद-मथुरा	1. वार्ड न0 5/19 कमला नगर में शालीमार रोड़ राजेन्द्र से लेकर कन्हैयालाल दीनदयाल होते गिर्राज के मकान तक मार्ग में सी०सी० सडक, इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	28.43		
		2. वार्ड नं0 9/10 मो० तांगडा में श्रीकृष्ण गौशाला पुलिया से लेकर एन०एच० 19 हाईवे टेक्सी स्टेण्ड तक सी०सी० सडक निर्माण कार्य ।	23.30		
		3. वार्ड न0 03 मोहल्ला गांगवान में माहोर समाज की चौपाल से लेकर रूप किशोर के मकान तक सी०सी० सडक व नाली निर्माण कार्य।	10.91		
		4. वार्ड न० 09 दिलसुख घेर डा० धर्मवीर से लेकर वीरेन्द्र के मकान तक व नानक कचौडी वाले से भवगत के मकान तक व लिंक गलियों में सी०सी० सडक का निर्माण कार्य।	5.37		
		5. नगर में प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत नगर के वार्डों के विभिन्न मार्गो/चौराहों की प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोलर स्ट्रीट लाईट (30 वाट x 4 न०) मय आक्टागोनल पोल की आपूर्ति व लगाने का कार्य। 10 नग	15.99		

		6. नगर में प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत नगर के वार्डो के विभिन्न मुख्य मार्गो पर प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व सौन्द्रर्गीकरण के लिए डेकोरेटिव लाईट (60 वाट x 2 न०) मय डिजाईनर पोल की आपूर्ति व लगाने का कार्य। 20 नग	16.97		
		योग	**100.97**	**100.00**	**50.00**
6	नगर पालिका परिषद स्वार, जनपद-रामपुर	1. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न० 13 में मोहब्बत नगर रोड से हामिद कारीगर के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य	24.27		
		2. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न० 14 में कब्रिस्तान रोड से नन्हे रसीला के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	37.57		
		3. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न0 14 में खलील के मकान से हबीब भाई के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.83		
		4. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न0 13 में अबरार हाजी के मकान से आले हसन के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	26.30		
		5. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न0 14 में भूरा भाई के मकान से बाबू के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य ।	19.49		
		6. नगर पालिका परिषद स्वार के अन्तर्गत वार्ड न0 13 में जवाहर स्कूल के कोने से अब्दुल मजीद के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	18.43		
		7. नगर पालिका परिषद स्वार के अन्तर्गत वार्ड न० 20 में नन्हे भाई की दुकान से हसीन साउण्ड वाली गली व अब्दुल हसन के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	19.40		
		8. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न० 20 में अंसारियों वाली मस्जिद से रिहान के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य	16.20		
		9. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न० 13 में मोहब्बत नगर रोड से अफसर अली मियां के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	14.63		
		10. नगर पालिका परिषद् स्वार के अन्तर्गत वार्ड न0 13 में हारून कबाडी के मकान से नबी अहमद के मकान तक सी०सी० मार्ग एवं आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य	16.53		
		योग	**200.65**	**200.00**	**100.00**
7	नगर पालिका परिषद, गौरीगंज, जनपद-अमेठी	1. वार्ड नं0 03 पवन सिंह के घर से भारत यादव के घर होते हुए रामलाल यादव के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	21.23		
		2. वार्ड नं0 08 स्वामीनाथ सरोज के घर से मछली मण्डी के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.37		
		3. वार्ड नं0 10 मुसाफिरखाना मेन रोड से विजयपाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	22.99		
		4. वार्ड नं0 05 महावत के घर के सामने से किशन कुमार के घर होते हुए लुद्दू के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	21.71		

		5. वार्ड नं0 15 अमेठी मेन रोड से आजे शाह के घर डॉ के0वी0 सिंह के घर होते हुए नागेश्वर तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	22.33		
		योग	**104.63**	**100.00**	**50.00**
8	नगर पालिका सिद्धार्थनगर, जनपद-सिद्धार्थनगर	1. सुभाष नगर वार्ड में हनुमान मन्दिर से पुलिया तक सी0सी0 रोड का निर्माण व डिजाईनर पथ प्रकाश का अवस्थापना का कार्य।	79.71		
		2. सुभाष नगर वार्ड के विभिन्न गलियों में पथ प्रकाश की अवस्थापना का कार्य।	20.92		
		योग	**100.63**	**100.00**	**50.00**
9	नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर, जनपद-सिद्धार्थनगर	नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर, मु0-सुभाषनगर में प्रदुम के मकान से कल्लू के मकान तक, गोविन्द के घर से अतीकुर्रहमान के घर तक, इलियास से वकील वारसी, प्रमोद गुप्ता के घर से मेन रोड, वसीम अहमद के घर से रोड तक गलियों में सी0सी0 रोड, नाली एवं पथ प्रकाश निर्माण कार्य।	99.99		
		योग	**99.99**	**99.99**	**49.995**
10	नगर पालिका परिषद मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर	1. बधुआ वार्ड में भैरो जी मन्दिर के पीछे अग्रवाल कॉलोनी में विनोद गुप्ता के मकान से धनश्याम सिंह के मकान होते हुए राज कुमार सिंह के मकान से मुरलीधर सिंह के मकान होते हुए विवेक तिवारी के मकान तक मिट्टी पटाव, रिटेनिंग वॉल, नई नाली, कवर व सी०सी० रोड का निर्माण का कार्य।	23.99		
		2. शुक्लहा वार्ड में कतवारू का पूरा में निरंजन गुप्ता के मकान से मेन गली होते हुए शिव प्रसाद प्रजापति के मकान तक मिट्टी पटाव व रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।	21.67		
		3. चेतगंज वार्ड में गैबीघाट रोड पर राम केशरवानी से गीता शर्मा तक नाली, कवर व सी०सी० का कार्य।	25.15		
		4. भटवा की पोखरी वार्ड में बेलतर रोड पर शंकर जी मन्दिर से लेकर द्वारिका नाथ उमर के मकान तक रोड की साईड पटरी पर इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.16		
		5. गोसाई तालाब वार्ड में दया यादव के मकान से दीपक वार्मा के मकान से अर्चना निवास तक व विनोद के मकान से गोलू के मकान तक मिट्टी पटाव, रिटेनिंग वॉल व सी०सी० रोड का निर्माण का कार्य।	24.17		
		6. फतहाँ वार्ड में विसुन्दरपुर में डॉ० अजय सिंह के मकान से ओम प्रकाश दूबे के मकान तक आंशिक रिटेनिंग वॉल, नई नाली, कवर व सी०सी० का कार्य।	21.08		
		7. बाजीराव कटरा वार्ड में बिलासी गली में स्व० माता प्रसाद दूबे के मकान से जयप्रकाश के मकान होते हुए कृपाशंकर के मकान व कैलाश दूबे के मकान से विजय गुप्ता के मकान तक दोनो पटरी नाली मरम्मत, कवर व सी०सी० का कार्य।	27.57		
		8. पक्का पोखरा वार्ड में कैलाशपुरी कॉलोनी में मातृ सदन से संजू शुक्ला के मकान तक नई नाली, कवर व सी०सी० का निर्माण का कार्य।	18.19		
		9. नगर क्षेत्र के गुडहट्टी चौराहा से इमरती रोड तक व मुकेरी बाजार चौराहा से तेलियागंज चौराहा तक लाईट का कार्य।	30.00		
		योग	**199.98**	**199.98**	**99.99**
		कुल योग (नगर पालिका परिषद:अनुदान संख्या-37)	**1213.47**	**1199.76**	**599.88**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्ययस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपयद रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/उपकरणों का कय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विदयुत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-

227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/वी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष (**31 मार्च, 2027 तक**) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(23) प्रशा0 विभाग द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 599.88 लाख (रूपये पांच करोड़ निन्यानवे लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-93-X-2026-27, दिनांक- 03 सितम्बर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by RAJESHWARI PRASAD
Date: 05-09-2026 16:22:44

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-१७५ /2026/आर0एफ0-1660/नौ-9-2026/002-ई-2081482, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
8. कोषाधिकारी, जनपद-बलिया/बलरामपुर/बस्ती/उन्नाव/मथुरा/रामपुर/अमेठी/सिद्धार्थनगर/मीरजापुर।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
10. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
11. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-05/09/2026

प्रेषण संख्या:- 284
आवंटन आदेश संख्या:- 001-284-2026-RF-1660-9-9-2026-002-E-2081482
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 30000000	10000000 30000000
3	मिर्ज़ापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9999000 52150000	9999000 52150000
4	बलिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4997500 9997500	4997500 9997500
5	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4992000 4992000	4992000 4992000
6	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 7500000	5000000 7500000
7	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9999500 29999500	9999500 29999500
8	बलरामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 37481000	5000000 37481000
9	अमेठी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	59988000 182120000	59988000 182120000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ निन्यानवे लाख अठासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव